कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 228/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.06.2026

थाना – रौनापार, जनपद- आजमगढ़

महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर सख्त कार्रवाई, बालिका अपहरण मामले का आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग को भगाने का आरोपी थाना रौनापार पुलिस की सक्रियता से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पूर्व की घटना– दिनांक 18.12.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर तहरीर दी गयी कि वादिनी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष जो स्कूल गयी थी जिसे कोइ अज्ञात व्यक्ति भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 473/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी किया गया तथा अभियुक्त आशीष पुत्र स्व0 जयराम साकिन अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया।
गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.06.26 को व0उ0नि0 रामअनुज शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त आशीष पुत्र स्व0 जयराम साकिन अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को बुलकुण्डा से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 473/25 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त- आशीष पुत्र स्व0 जयराम साकिन अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रामअनुज शुक्ला, रि0का0 सगीर अहमद खाँ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़।

फर्जी मदरसा संचालन के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना– आज दिनांक 14.02.2025 को थाना स्थानीय पर आवेदक कुँवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह निरीक्षक/ जॉच अधिकारी राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) मुख्यालय उ0प्र0 , लखनऊ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि आस्तित्वहीन मदरसा बिस्मिल्लाह मेमोरियल कोदहरा पोस्ट बरौना आजमगढ मदरसा आई0डी0191100571 के प्रबंधक इस्लाम द्वारा धोखाधडी एंव कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये उन्हें असली रूप में प्रयोग करते हुये फर्जी तरीके से शासकीय धनराशि/ अनुदान का गबन किया है जिसके आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 43/2025 धारा- 409, 420, 467, 468, 471 भादवि0 बनाम 1. इस्लाम पुत्र अज्ञात प्रबन्धक मदरसा बिस्मिल्लाह ममोरियल कोदहरा पोस्ट बरौना (मदरसा आई०डी० 191100571) पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 14.06.26 को व0उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त मो0 मजीद पुत्र विस्मिल्ला निवासी ग्राम कोदहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ को कोदहरा मोड से समय करीब 08.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 मजीद पुत्र विस्मिल्ला निवासी ग्राम कोदहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ
आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 43/2025 धारा- 409/420/467/468/471 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– व0उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्र, का0 ललित सरोज, रि0का0 योगेश दुबे थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना- पवई, जनपद- आजमगढ़

जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद

पवई पुलिस को मिली सफलता, मारपीट के मुकदमे में 03 अभियुक्त दबोचे गए

पूर्व की घटना– दिनांक 13.06.2026 को वादी मुकदमा रवि पुत्र सुरेश कुमार ग्राम गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर तहरीर दी गयी की वादी के पडोस में शादी थी वादी व उसके पारिवारिकजन शादी में शामिल होने गये थे कि सुबह 05 बजे अचानक विपक्षी 1.जयनाथ पुत्र स्व0 सन्तू 2.इन्द्रपाल पुत्र जयनाथ 3.विशाल पुत्र जयनाथ 4. प्रवीण पुत्र जयनाथ समस्त निवासी- ग्राम गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, जिनसे कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी उसी बात को लेकर लोहे की राड व लाठी डण्डा से लैश होकर आये और मां बहन की गाली देते हुए जान मारने की नियत से राड से वादी की पत्नी, बहन व बडे पापा को मारे-पीटे जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 147/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 1.जयनाथ पुत्र स्व0 सन्तू 2.इन्द्रपाल पुत्र जयनाथ 3.विशाल पुत्र जयनाथ 4. प्रवीण पुत्र जयनाथ निवासीगण गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नाजमद अभियुक्तों 1. जयनाथ पुत्र स्व0 संतू उम्र 55 वर्ष, 2. इन्द्रपाल उर्फ लिटिल पुत्र जयनाथ उम्र 25 वर्ष, 3. विशाल पुत्र जयनाथ उम्र 21 वर्ष निवासीगण गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को ग्राम गद्दोपुर से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

➡ अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजुर्म (01 लोहे की राड व 02 डण्डा) उनके घर के बगल के मक्के के खेत से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.जयनाथ पुत्र स्व0 सन्तू 2.इन्द्रपाल पुत्र जयनाथ 3.विशाल पुत्र जयनाथ निवासीगण गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 147/26 धारा 109(1),352,351(3), बीएनएस थाना पवई आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 147/26 धारा 109(1),352,351(3)बीएनएस थाना पवई आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, का0 विकास यादव, का0 विरेन्द्र यादव , रि0का0 अनुपम यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

अस्तित्वहीन मदरसे के नाम पर अनुदान हड़पने की साजिश का आरोपी गिरफ्तार

धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर शासकीय अनुदान हड़पने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सरायमीर पर पंजीकृत धोखाधड़ी, कूटरचना एवं शासकीय धनराशि के गबन के प्रयास से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण

दिनांक 10.02.2025 को कुँवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह, निरीक्षक/जांच अधिकारी, राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू), मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा थाना सरायमीर पर एक प्रार्थना पत्र/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच के दौरान पाया गया कि **एम.एल.ए.वी.एम. कान्वेंट स्कूल, निजामुद्दीन पट्टी, आजमगढ़ (मदरसा आईडी-0191100687)** के प्रबंधक **शकील अहमद** द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर उन्हें वास्तविक दर्शाते हुए शासकीय धनराशि/अनुदान प्राप्त करने एवं गबन करने का प्रयास किया गया।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 44/2025 धारा 409, 420, 467, 468 एवं 471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 14.06.2026 को उ0नि0 उदय बहादुर यादव मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान अभियुक्त **शकील अहमद पुत्र स्व0 एहसान अहमद निवासी निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** अपने घर पर मौजूद मिला, जिसे मुकदमा उपरोक्त में समय करीब 11:40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- शकील अहमद पुत्र स्व0 एहसान अहमद निवासी निजामुद्दीनपट्टी थाना सरायमीर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 45/25 धारा 420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 उदयबहादुर यादव, का0 शुभम मिश्रा, रि0का0 शैलेश कुमार कुशवाहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

पुरानी रंजिश में हुए जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद

बरदह पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 13.06.26 को वादिनी मुकदमा ज्ञान्ती देवी पत्नी मिलोकी सरोज निवासीग्राम गयासपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा थाना बरदह पर तहरीर दिया गया कि पुराने झगड़े को लेकर भगवतीपुर चौराहे के पास दिनांक 12.06.2026 को समय लगभग रात्रि 09.00 बजे वादिनी के पट्टीदार त्रिलोकी पुत्र झगडू ने वादिनी व उसके पति को लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया तथा प्रकाश पुत्र श्रीराम ने वादिनी के भांजे मोनी सरोज पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम जेतीपुर थाना वरदह जनपद आजमगढ को जान से मारने की नियत से चाकू से सीने पर हमलाकर दिया और गम्भीर रुप से घायल कर दिये है। जिसके सम्बन्ध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 208/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 14.06.26 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त त्रिलोकी पुत्र झगड़ू को गोड़हरा मोड़ से समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 चाकू जिससे मोनी सरोज पर हमला किया था। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- त्रिलोकी पुत्र झगडू ग्राम गयासपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ।

बरामदगी- 01 चाकू

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 208/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ
2. का0 त्रिलोक नाथ पाण्डेय थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई

जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले कुल 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

आज दिनांक 14.06.2026 को उ0नि0 कमालुद्दीन खान एवं उ0नि0 दयानन्द मय हमराह द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण एवं चेकिंग के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले कुल 09 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनोज बरनवाल पुत्र स्व0 दयाशंकर बरनवाल निवासी शनिचर बाजार, कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. आशीष कुमार बरनवाल पुत्र स्व0 कृष्णानन्द बरनवाल निवासी शनिचर बाजार, कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
3. रोहित सैनी पुत्र सुनील सैनी निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4. अंकित सैनी पुत्र दिनेश सैनी निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
5. अनिल पुत्र नन्दू निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
6. सुनील पुत्र नन्दू निवासी खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
7. रामलल्लन पुत्र लालता प्रसाद निवासी सेंदुरी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
8. गौरव पुत्र मुकेश निवासी सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
9. रवि कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 कमालुद्दीन खान
- उ0नि0 दयानन्द
- म0का0 शीला चौरसिया
- म0का0 दीपा

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

ऑपरेशन वज्रपात
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

• सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति और दबंगई दिखाने वालों पर कोतवाली पुलिस की सख्त नजर, "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत कार्रवाई।

• इंस्टाग्राम आईडी बनाकर झुंड में भ्रमण करने वाले युवकों की काउंसलिंग, अभिभावकों को दी गई सख्त हिदायत।

• सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं भय का माहौल बनाने वालों के विरुद्ध पुलिस की कठोर चेतावनी, एक युवक का चालान।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा "ऑपरेशन वज्रपात" के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

➡ अभियान के दौरान यह संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर झुंड में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे आमजनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

➡ जांच के दौरान निम्न इंस्टाग्राम आईडी एवं सदस्य चिन्हित किए गए—

1. Instagram ID – "kamine sarkar 315"
   सदस्य – मो. इरफान पुत्र अबरार अहमद निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।
2. Instagram ID – "A.K.4.T.7 ARMAN"
   सदस्य – मो. अरमान पुत्र स्व0 गुफरान अहमद निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़, उम्र लगभग 17 वर्ष।
3. Instagram ID – "Sarkar.-315-69"
   सदस्य – मो. दानिश पुत्र रईश निवासी पहाड़पुर तकिया थाना कोतवाली आजमगढ़, उम्र लगभग 15 वर्ष।

➡ थाना पुलिस द्वारा Instagram ID "A.K.4.T.7 ARMAN" एवं "Sarkar.-315-69" से जुड़े नाबालिग युवकों को चिन्हित कर थाना परिसर में उनके अभिभावकों एवं बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में बुलाया गया। इस दौरान उन्हें कानून व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

➡ अभिलेखों की जांच में दोनों युवकों के नाबालिग पाए जाने पर बाल कल्याण अधिकारी द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने एवं सकारात्मक कार्यों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

➡ वहीं Instagram ID "kamine sarkar 315" के सदस्य मो. इरफान पुत्र अबरार अहमद निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएस के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की गई।